महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के एक भाग के रूप में 1924 में स्थापित इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना और देश के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में यह महाविद्यालय शिक्षण, शोध और पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की जो विशेषता इसे ऐसी ही अन्य संस्थाओं से अलग करती है वह है इसके द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाली छात्राओं पर दिया जाने वाला सीधा बल। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रशासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय और उनके ठोस परिणाम महत्वपूर्ण हैं। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली विकलांग छात्राएं अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण कर सफलता प्राप्त करती हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करती हैं। विशेष रूप से सक्षम छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय द्वारा सात वर्गों में पुरस्कारों की स्थापना की गई है। वर्ष 2013 में महाविद्यालय के दो महत्वपूर्ण पुरस्कार – सर्वोत्तम छात्रा और आलराउंड एक्सीलेंस अवॉर्ड – दृष्टिबाधित छात्राओं ने प्राप्त किए। उन्होंने अपने वर्ग से बाहर की सभी छात्राओं के साथ प्रतिस्पर्धा की। इनमें से एक छात्रा ने तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आलराउंड एक्सीलेंस के लिए शंकर दयाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त किया। यहां भी उन्होंने सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा की। दूसरी छात्रा ने एम.ए. (पूर्वार्द्ध) में ही राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा पास की।

दिसम्बर 2009 में महाविद्यालय के लिए 'समावेश' विषय तय किया गया जिसमें महाविद्यालय द्वारा विकलांगता और अभिगम को अपनी दृष्टि के मुख्य भाग और इसके विकास और प्रगति पर जोर दिया गया। महाविद्यालय द्वारा पिछले छह वर्षों में डिजाइन और शारीरिक अभिगम्यता पर सावधानीपूर्वक कार्य किया गया है और समुदाय में

विकलांगता के प्रति चेतना और संवेदनशीलता जागृत की गई है। महाविद्यालय द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जहां विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को संस्थागत जीवन की मुख्यधारा में लाया जा सके, उनके लिए सक्षम बनाने वाली तकनीकें और शिक्षा में सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकें, आवासीय और परिवहन सुविधाओं से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही किसी आपदा की स्थिति में उन्हें आसानी से बचाया जा सके, अध्ययन हेतु शुल्क में पूरी छूट दी जा सके, कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध सहायक सामग्री और प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सके तथा भारत सरकार द्वारा परिकल्पित सभी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई और समर्थकारी प्रावधानों में लगातार भागीदारी की जाए।

उपर्युक्त से विकलांग छात्राओं और कमर्चारियों, दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए 'विकलांगता की दृश्यता : अभिगम से संबंधित समस्याएं' को वार्षिक विषय के रूप में लिया गया है जो अभिगम्यता और सार्वभौम डिजाइन के प्रति महाविद्यालय की प्रतिबद्धता और अपनी दृष्टि और मिशन कार्यों में सशक्तिकरण की कार्यसूची को सक्रिय रखने के सतत प्रयासों को उद्घाटित करते हैं।

1996 में उच्च शिक्षा संस्थानों में विकलांगों के लिए आरक्षण पॉलिसी के लागू होने से बहुत पहले से ही महाविद्यालय द्वारा रिकॉर्ड संख्या में विकलांग छात्राओं को प्रवेश दिया जाता रहा है। आवासीय सुविधा सहित महाविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में

नामांकित कुल छात्राओं की संख्या विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 39 के अंतर्गत निर्धारित 3% प्रतिशत कोटे से भी अधिक है। 161 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी विकलांग हैं, इनमें से दो महाविद्यालय के संकाय के हैं और 3 कर्मचारी प्रशासनिक स्टाफ के हैं। यह संख्या अनिवार्य 3 प्रतिशत से अधिक है।

महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की अध्ययन विषय-वस्तु को ही अनेक वैकल्पिक रूपों में ही उपलब्ध कराया गया है अपितु पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या भी, जहां तक कि महाविद्यालय को इसे तैयार करने की स्वायत्तता है, संस्था की मूल दृष्टि को उद्घाटित करते हैं। उदाहरणार्थ, विशेष रूप से महाविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले मल्टीमीडिया और जनसंचार में बी.ए. (ऑनर्स) पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम में विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए संप्रेषण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के प्रमुख घटकों के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसमें अन्य विषयों के साथ सांकेतिक भाषा और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिकी और संप्रेषण भाषाओं का प्रयोग भी पढ़ाया जाएगा।

महाविद्यालय विकलांग छात्राओं के लिए सहायक सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए कुल आबंटित बजट से अधिक राशि खर्च की है। महाविद्यालय ने इस प्रयोजन हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सक्रिय नीति अपनाई है।

महाविद्यालय विकलांग जनों के लिए की जाने पहलों पर भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। महाविद्यालय की विशेष रूप से सक्षम छात्राओं ने विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और

अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2015 को आयोजित राहगीरी कार्यक्रम में भाग लिया। प्राचार्या और एनेबलिंग यूनिट और समान अवसर प्रकोष्ठ के समन्वयकों ने विकलांग जनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लॉन्च के अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 21 मार्च 2015 को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।